दलहन मिशन बढ़ाएगा किसानों की आय

केंद्र सरकार जल्द शुरू करेगी दहलन आत्मनिर्भरता मिशन

2030-31 तक उत्पादन 350 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य

नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिए कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को लागू करने में किसी किस्म की कोताही न बरती जाये. चौहान ने ये निर्देश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक में दी.

उन्होंने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए इस मिशन से जुड़े राज्यों के अधिकारियों के साथ बातचीत करने का निर्देश दिया. बैठक में बताया गया कि राज्यों के सहयोग से जिलेवार क्लस्टर बनाकर दालों के मिशन पर काम किया जाएगा. केंद्रीय कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिये. इस योजना के कामकाज में तेजी के लिए संबंधित 11 मंत्रियों के साथ जल्द ही बैठक की जायेगी.

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को देश के 100 आकांक्षी जिलों में कृषि के विकास के लिए 11 मंत्रालयों की 36 उप-योजनाओं को जोड़ा गया है. गौरतलब है कि गत 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया था. यह योजना छह साल चलेगी और इस पर 24,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. दलहन मिशन भी छह साल के लिए है और इस पर 11,440 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इस मिशन से 2030-31 तक दलहन का रकबा 275 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर करने, पैदावार को 242 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन तक बढ़ाने और एक हेक्टेयर की पैदावार 1130 किलोग्राम तक बढ़ाने की उम्मीद है.

कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में लोन बढ़ाएं

बेल्लारी, 17 अक्टूबर. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण बैंकों से कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में बढ़ती ऋण की मांग को पूरा करने के लिए अधिक लोन देने को कहा है.

गुरुवार को बेल्लारी में कर्नाटक ग्रामीण बैंक (केएजीबी) के व्यावसायिक प्रदर्शन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, वित्त मंत्री ने बैंक की लोन वृद्धि, एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति), वित्तीय समावेशन प्रदर्शन और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया. वित्त मंत्री सीतारमण ने सभी हितधारकों को क्षेत्र में कृषि गतिविधियों की क्षमता का पूरी तरह से दोहन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया.विशेष रूप से, केएजीबी और उसके प्रायोजक बैंक केनरा बैंक को एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) और उससे जुड़े क्षेत्रों को ऋण वितरण बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के विभागों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया है. केंद्रीय वित्त मंत्री ने केएजीबी को कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और नई शाखाएं खोलकर बैंकिंग आउटलेट्स की अपर्याप्त उपलब्धता वाले स्थानों को कवर करने का भी आग्रह किया. केएजीबी को अपनी परिचालन दक्षता (ऑपरेशनल एफिशिएंसी) बढ़ाने के लिए परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार, नई तकनीक अपनाने और ग्राहक सेवा वितरण को मजबूत करने की भी सलाह दी गई.वित्त मंत्रालय के सचिव एम. नागराजू ने ग्रामीण बैंक की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए केएजीबी की मध्यम अवधि की व्यावसायिक योजना और उसकी समीक्षा पर जोर दिया.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वगीर्कृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	78947640 & 162588544	संपत्ति के बदले ऋण	04.09.2025	5,87,564.43/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. महेश कुमार माहेश्वरी 2. संगीता बाई

संपत्ति का पताः अनुसूची 1 अचल संपत्ति का वह टुकड़ा और पार्सल (आवासीय भूखंड/मकान) जिसका नाम मकान संख्या 25 है, जिसका माप 900 वर्ग फुट और 83.64 वर्ग मीटर है, जो खसरा संख्या 370 397 में समाहित है, जो गांव सेमली जदीद, तह-इछावर, पीएच संख्या-55, जिला-सीहोर, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, और, परिसीमाबद्ध है। पूर्वः रास्ता, पश्चिमः स्वयं की भूमि उत्तरः हुकमचंद/लक्ष्मी नारायण, दक्षिणः रामभरोश/प्रभुलाल
अनुसूची 2 अचल संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा (आवासीय भूखंड/मकान) जिसका मकान भूखंड संख्या 99, क्रमांक 99 है, जिसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है, जो आबादी खसरा संख्या 370 397, गाँव- सेवविली जदीद, तह-इछावर, जिला-सीहोर, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, और पूर्वः रास्ता पश्चिमः रामबाबू की भूमि से घिरा है। उत्तरः हुकमचंद का घर दक्षिणः रामबागश का घर

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांकः 18.10.2025 **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड**
स्थानः मध्यप्रदेश **के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)**

सिंधिया बोले : विकास का इंजन है पूर्वोत्तर क्षेत्र

नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर. केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान दिया है जिसकी वजह से यहां की औसत विकास दर पिछले 11 वर्षों में नौ से 11 प्रतिशत के बीच रही, जो देश की औसत विकास दर से काफी अधिक है.

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को संवाददाताओं को मंत्रालय की एक वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि देश की विकास दर जहां औसतन 7.5 प्रतिशत है, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकास दर पिछले 11 वर्षों में नौ से 11 फीसदी रही है. उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि, व्यापार, वायु, सड़क और रेल संपर्क के क्षेत्र में इतना काम हुआ है कि उस क्षेत्र को आज देश के विकास का इंजन कहा जा सकता है. उन्होंने कहा कि वहां की क्षमता और विविधता सबसे अलौकिक है. सरकार की कोशिश है कि वहां इसे और निखार कर विश्व पटल पर प्रस्तुत किया जाये.

सिंधिया कहा कि वहां निवेश के लिए पुरजोर प्रयास किये जा रहे हैं और उद्योगपतियों से निरंतर संपर्क रखा जा रहा है. इसके बेहतर परिणाम भी सामने आ रहे हैं. वहां निवेश और विकास के लिए कई पहल की गयी हैं. इस वर्ष मई में आयोजित राइजिंग नार्थ ईस्ट सम्मेलन के दौरान चार लाख 48 हज़ार करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव हासिल हुए. उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में पाम आयल, आगरवुड सेक्टर और बांस उद्योग को बढ़ावा देने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं.

AURANGABAD SMART CITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (ASCDCL)

Smart City

REQUEST FOR PROPOSAL

ASCDCL invites firms possessing relevant capabilities to respond to this RFP for following :

Sr. No.	Title and Tender ID No.	Bid Due Date
1	Selection of Agency to Study, Design, Develop, Operate, Manage and Maintain Integrated Smart Parking Management System at Chhatrapati Sambhajinagar on PPP Basis [2025_ASCDC_1231991_1]	07 Nov. 2025 5:00 PM
2	Supply of Soil [2025_ASCDC_1232167_1]	24 Oct. 2025 6:30 PM
3	CC Rigid Pavemen Work [2025_ASCDC_1232115_1]	24 Oct. 2025 4:00 PM

The tender documents can be downloaded from http://mahatenders.gov.in

Sd/-
Chief Executive Officer
Aurangabad Smart City Development Corporation Limited Aurangabad

सोलापूर महानगरपालिका सोलापूर
पत्ता- इंद्रभुवन, पुण्यश्लोक अप्पासाहेब वारद पथ, रेल्वेलाईन्स, सोलापूर ४१३००१
नगर अभियंता कार्यालय, शहर सुधारणा विभाग

City Engineer
Notice for Tender
Proposed Administrative Building (ICCC) PHASE II

City Engineer Solapur Municipal Corporation to participate in competitive bidding from and renowned process experienced companies/contractors Proposed Administrative Building (ICCC) PHASE II Requesting proposals for.

Interested bidders may contact the Government of Maharashtra for detailed tender documents http//:www.Mahatenders.gov.in/tenders Or WWW.Solapurcorporation.gov.in Visit this website for information. Tenders should be submitted online and the last date for submission is 30/10/2025 at 1.00 PM and pre-bid meeting is 24/10/2025.

Tender-ID- 2025_SMC_1231006_1

स्वर्ण भंडार पहली बार सौ अरब डॉलर के पार

मुंबई. देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार चौथे सप्ताह गिरावट दर्ज की गयी है जबकि इसमें शामिल स्वर्ण भंडार लगातार सातवें सप्ताह बढ़ता हुआ पहली बार100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है. रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों में बताया गया है कि 10 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.176 अरब डॉलर घटकर 697.784 अरब डॉलर रह गया. विदेशी मुद्रा भंडार की सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 5.605 अरब डॉलर की बड़ी गिरावट के साथ 572.103 अरब डॉलर रह गयी. इसमें डॉलर के साथ यूरो, पाउंड और येन का भंडार भी शामिल है जिनके डॉलर के सापेक्ष विनिमय दर के आधार पर अमेरिकी मुद्रा में उनका मूल्य निर्धारण किया जाता है. विदेशी मुद्रा भंडार के दूसरे सबसे बड़े घटक स्वर्ण भंडार का मूल्य लगातार सातवें सप्ताह बढ़ा है.

शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी

सेंसेक्स 485 अंक उछला, निफ्टी 25700 पार

मुंबई, 17 अक्टूबर. भारतीय शेयर बाजार ने शुक्रवार को ज़बरदस्त वापसी करते हुए सेंसेक्स और निफ्टी दोनों को 52 सप्ताह की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया. बैंकिंग, स्वस्थ्त्र और ऑटो सेक्टर में तेज़ लिवाली से बाजार में उत्साह दिखा. खास बात यह रही कि 73 सत्रों बाद बैंक निफ्टी ने भी नया रिकॉर्ड बनाया.

शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में उत्साह का माहौल रहा, जहां दिन की शुरुआत हल्की गिरावट से हुई लेकिन बाद में घरेलू निवेशकों की मजबूत लिवाली के चलते बाजार ने रफ्तार पकड़ी. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 485 अंक चढ़कर 84,172 के 52 हफ्ते के उच्च स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 155 अंक उछलकर 25,781 पर बंद हुआ.

इस दौरान सबसे बड़ी खबर रही बैंक निफ्टी का 57,830.2 के नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचना, जो 73 सत्रों के बाद देखने को मिला. ऑटो और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही, जबकि ढ्ढ्ढ और मिडकैप शेयरों में थोड़ा दबाव नजर आया. सेंसेक्स में प्रमुख बढ़त वाले शेयरों में एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारती एयरटेल और टाइटन शामिल रहे.

नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम **MOHAMMED FAHIM UDDIN** मोहम्मद फहीम उद्दीन था । जिसे बदलकर **MOHD FAHIM UDDIN** मोहम्मद फहीम उद्दीन कर दिया गया है।
मुझे **MOHD FAHIM UDDIN S/O MOHD IDREES QURASHI** नाम से जाना व पहचाना जाएं ।

सही: मोहम्मद फहीम उद्दीन
म. नं. 238, चौकसे नगर, बेरसिया रोड, भोपाल (म.प्र.)

पश्चिम मध्य रेल
विद्युत लोको शेड, इटारसी
विद्युत विभाग (टी.आर.एस.)
ई-निविदा आमंत्रण सूचना
क्र. इटी/टीआरएस/डब्ल्यूसी/15/25-26, दिनांक 13.10.2025

वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (टी.आर.एस.), विद्युत लोको शेड, पश्चिम मध्य रेल, न्यू यार्ड, इटारसी, भारत के राष्ट्रपति एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए दिनांक 07.11.2025 को 15.00 बजे तक ई-टेन्डर निम्नानुसार आमंत्रित करते हैः- **ई-निविदा क्र.:** इटी/टीआरएस/डब्ल्यूसी/15/25-26. **कार्य का नाम लोकेशन सहितः रिफिलिंग, टेस्टिंग, सर्विसिंग एंड रिपलेसमेंट ऑफ स्पेयर (इफ रिक्यार्ड) ऑफ फायॅर एस्टिंगयूशर ऑफ इलेक्ट्रिक लोको शेड, इटारसी। निविदा की अनुमानित लागतः ₹** 4,68,150/-. **बयाना राशिः ₹** 9,400/-. **कार्य पूर्ण करने की अवधिः** 02 इयर्स। **नोटः-** ई-निविदा प्रपत्र एवं ई-निविदा से संबंधित पूर्ण जानकारी वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है।

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING
सत्यमेव जयते

72वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 2024

प्रविष्टि हेतु सूचना

फ़िल्मों और सिनेमा पर लेखन

पात्रता

- **फ़ीचर और गैर फ़ीचर फ़िल्म**
  केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित फ़िल्में अंग्रेजी सब-टाइटल के साथ
- सिनेमा पर प्रकाशित **पुस्तकें एवं लेख/समीक्षाएँ**

01/01/2024 – 31/12/2024
(दोनों दिन शामिल)

अधिक जानकारी के लिए फोन करें – 011-26499370/78
(सुबह 09:30 – शाम 05:00 बजे तक)

विनियम की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया
www.mib.gov.in और nfaindia.org पर जाएं
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 31/10/2025 (शाम 5 बजे तक)

सभी अपेक्षित दस्तावेज़ नीचे दिए गए पते पर भेजें:

राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार सेल
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सिरी फोर्ट सभागार परिसर, अगस्त क्रांति मार्ग
नई दिल्ली-110049

ई-मेल : nfa.mib@gov.in | 72nfa2024@gmail.com
वेबसाइट: www.mib.gov.in | nfaindia.org

CBC 22201/11/0017/2526

1600 सीरीज पर सहमति, चरणबद्ध लागू होगी योजना

नयी दिल्ली, 16 अक्टूबर. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा गुरुवार को यहां आयोजित नियामकों की संयुक्त समिति की 9वीं बैठक में 1600 नंबर सीरीज को चरणबद्ध तरीके से लागू करने पर सहमति बनी. नियामकों की संयुक्त समिति का उद्देश्य आम ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के उपाय खोजना है. इस बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण, और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ-साथ दूरसंचार विभाग, गृह मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अधिकारी भी शामिल हुए.

कार्यालय नजूल अधिकारी, तहसील कोलार, भोपाल

(मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020)
(अध्याय दो राज्य शासन के किसी विभाग नजूल भूमि का हस्तांतरण कंडिका 13 (2)
अध्याय- नौ, प्रकीर्ण कंडिका 142 के अनुसार)

उद्घोषणा

प्रकरण क्र. 08/अ-20 (3)/2025-26

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल म.प्र. का पत्र क्रमांक 297/ आर.एम./2025 भोपाल दिनांक 28/8/2025 से ग्राम सलैया, तहसील कोलार स्थित भूमि खसरा नंबर 282/1, रकबा 0.320 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 42, रकबा 0.120 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 51, रकबा 0.280 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 197 का भाग, रकबा 0.117 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 232, रकबा 0.200 हेक्टेयर भूमि सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना मिसरोद फेस-2 के निर्माण हेतु भोपाल विकास विभाग के पक्ष में आवंटन हेतु विभाग द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 24/9/2020 को प्रकाशित मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के अनुसार प्रारूप 1 में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि दस्तावेजों सहित प्राप्त हुआ है. इस संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था को आपत्ति हो तो वह इस उद्घोषणा के जारी होने के पश्चात आगामी 15 दिवस तक इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. समयावधि पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा.

आज दिनांक 16/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

सील

नजूल अधिकारी
तहसील कोलार, जिला भोपाल

JANA SMALL FINANCE BANK
(A Scheduled Commercial Bank)

पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वेक्षण संख्या 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, डोम्लूर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बेंगलुरु-560071। शाखा कार्यालयः प्लॉट संख्या 131/01, भूतल, एमपी नगर जोन-2, भोपाल (मध्य प्रदेश)-462011।

ई-नीलामी नोटिस

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के प्रावधान नियम 8(6) और 9 के साथ पढ़ें।

जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने SARFAESI अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाया की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित खाते में बंधक संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी (ई-नीलामी) **"जहां है जैसा है"** और **"जो है जैसा है जैसा है"** के आधार पर नीचे निर्धारित तिथि पर आयोजित की जाएगी।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	मूल उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम	दिनांक 13-2 नोटिस	कब्जा की तिथि	वर्तमान बकाया शेष राशि	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय	आरक्षित मूल्य भारतीय रुपये में	बयाना राशि जमा (ईएमडी) भारतीय रुपये में	ई-नीलामी की तिथि और समय	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, समय और स्थान
1	45499420004014	1) श्री हिरदेश जोगी, पुत्र हजारी लाल, 2) श्री रामकन्या जोगी, पुत्र हिरदेश नाथ	19.10.2024	04.06.2025	रू. 6,33,484.51 (छह लाख तैंतीस हजार चार सौ चौरासी इक्यावन पैसे मात्र) 16.10.2025 तक	31.10.2025 सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक	रु. 7,39,935/- (सात लाख उनचालीस हजार नौ सौ पैंतीस मात्र)	रू. 73,993.50 (तिहत्तर हजार नौ सौ तेरानवे और पचास पैसे मात्र)	03.11.2025 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक	31.10.2025 को शाम 5:00 बजे से पहले जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, प्लॉट संख्या 131/01, भूतल, एमपी नगर जोन-2, भोपाल (मध्य प्रदेश) - 462011

संपत्ति विवरण/अनुसूचीः प्लॉट संख्या 03 वाला वह समस्त भूमि खंड, जिसका क्षेत्रफल 609 वर्ग फुट (56.59 वर्ग मीटर) है, तथा उस पर निर्माण सहित, खसरा संख्या 280/2/1(२), पी.एच. संख्या 11 का भाग, ग्राम निपानिया जाट, विकास खंड फंदा, तहसील हुजूर एवं जिला भोपाल (म.प्र.) में स्थित है। पूर्व में सुशील कुमार पांडे की संपत्ति, पश्चिम में शोभा नामदेव की संपत्ति, उत्तर में गजरी बाई की संपत्ति और दक्षिण में 9 फुट चौड़ी सड़क से घिरा है।

संपत्तियाँ "जहाँ है जैसी है" और "जो है जैसी है जैसी है" के आधार पर रखी जा रही हैं और ई-नीलामी 'ऑनलाइन' आयोजित की जाएगी। उपरोक्त संपत्ति की खरीद से संबंधित सभी भुगतान जन लघु वित्त बैंक के पक्ष में किए जाएँगे। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स 4 क्लोजर के माध्यम से वेब पोर्टल https://bankauctions.in और www.foreclosureindia.com पर आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए और ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता मेसर्स 4 क्लोजर से संपर्क कर सकते हैं; श्री विकास केटेले से संपर्क करें, संपर्क संख्याः 8712637550। ईमेल आईडीः info@bankauctions.in /vikas@bankauctions.in। ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया जन लघु वित्त बैंक के अधिकारी श्री रंजन नाइक (मोबाइल नंबर 6362951653) से संपर्क करें। प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार, संपत्तियों पर कोई भार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले भार और संपत्ति के स्वामित्व के बारे में स्वतंत्र रूप से पूछताछ करनी चाहिए। कोई भी सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। यह उपरोक्त उधारकताओं/गारंटर/बंधककताओं को बंधक संपत्तियों के लिए निर्धारित ई-नीलामी के बारे में भी एक सूचना है। उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे नीलामी की तिथि से पहले उपरोक्त राशि, वर्तमान ब्याज और सहायक खर्चों सहित, का भुगतान करें। ऐसा न करने पर संपत्ति बेच दी जाएगी और यदि कोई बकाया राशि है, तो उसे ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

दिनांकः 18.10.2025,, स्थानः भोपाल — एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड